बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

विषयः— बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति—2023

1. प्रस्तावना

बिहार सरकार निवेश अनुकुल वातावरण निर्माण के लिए सतत् प्रयत्नशील है। राज्य में निवेश को सुगम बनाने, रोजगार उत्पन्न करने एवं जन कल्याण के लिए राज्य ने सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अपनाया है। इस दिशा में विभिन्न प्रकार के पहल जैसे—राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद, सिंगल विण्डो क्लियरेंस एवं विभिन्न विभागों एवं सरकारी एजेन्सियों द्वारा अपनाये गये ऑनलाइन भुगतान, ऑनलाइन सत्यापन, स्वप्रमाणन, अनुज्ञप्तियों एवं स्वीकृतियों का समयबद्ध अनुमोदन, ऑनलाइन सूचनाओं की उपलब्धता, अनुमोदन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया, डीम्ड अनुमोदन, इत्यादि उपाय महत्वपूर्ण हैं।

इन प्रयासों का समग्र उद्देश्य राज्य में उद्योगों की स्थापना कर राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम मूल्यवर्धन करना, राजस्व उत्पन्न करना एवं रोजगार सृजित करना है। बिहार सरकार गंभीरतापूर्वक कौशल विकास, निर्यात सुधार, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, वस्त्र एवं चमड़ा उत्पाद, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में कार्य कर रही है।

बिहार सरकार ने उद्योग विशेषज्ञों, उद्योग संघों, निवेशकों, विषय विशेषज्ञों आदि से गहन विचार—विमर्श के उपरान्त इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2021 तैयार और अधिसूचित किया गया है। इस नीति में संभावित निवेशकों के लिए राज्य में इथेनॉल उत्पादन को ज्यादा आकर्षक बनाने हेतु प्रस्ताव था। इथेनॉल उत्पादक उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने एवं इस तरह के अन्य उद्योगों को इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहित करने हेतु सरकार के उद्देश्य की विस्तृत रूप—रेखा को परिभाषित करना है।

राज्य सरकार इस नीति को कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG)/बायो सी0एन0जी0 के उत्पादन के उद्देश्य से इस नीति के व्यापकता एवं अन्य समरूप इकाइयों को सुविधा प्रदान करने हेतु बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2023 को लागू कर रही है। इस नीति का उद्देश्य कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG)/बायो सी0एन0जी0 को शामिल करके कवरेज को व्यापक बनाना है। यह वैकल्पिक, नवीकरणीय ऑटोमोटिव ईंधन उत्पन्न करने के लिए कृषि अवशेषों, जानवरों के गोबर, खाद्य अपशिष्ट, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, सीवेज के पानी आदि का उपयोग करने में मदद करेगा। इससे किसानों के लिए अतिरिक्त आय सृजित करने और रोजगार सृजित करने में भी मदद मिलेगी।

2. पृष्ठभूमि

स्थाई और वैकल्पिक ईंधन को प्रोत्साहित करने तथा जीवाश्म ईंधन तेल के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने कई पहल की है जिनमें

(16)

नियंत्रित मूल्य तंत्र, इथेनॉल उत्पादन के लिए वैकल्पिक मार्ग खोलने, उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 जो भारत सरकार द्वारा विकृतिक इथेनॉल के लिए विनियामक है, में संशोधन, लागू माल एवं सेवा कर (जी0एस0टी0) को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाना, राष्ट्रीय बायो–फ्यूल नीति–2018 को अधिसूचित किया जाना, इथेनॉल की अधिप्राप्ति के जिए कच्चे माल की व्याप्ति का विस्तार एवं अप्रैल, 2019 के प्रभाव से इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (इ0बी0पी0) कार्यक्रम का अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप को छोड़कर पूरे भारत में विस्तार शामिल है।

राष्ट्रीय बायो–फ्यूल नीति–2018 का उद्देश्य सार्थक प्रयासों के माध्यम से पर्यावरण से जुड़े सरोकारों का समाधान, आयात निर्यात निर्भरता में कमी करना तथा कृषि प्रक्षेत्र को बढ़ावा दे कर सकारात्मक परिणाम को प्राप्त करना है।

राष्ट्रीय बायो–फ्यूल नीति–2018 में बी–हेवी मोलासेस (छोआ), गन्ना जूस एवं क्षतिग्रस्त खाद्यान जैसे–गेहूँ, ब्रोकन राईस (खुद्दी) इत्यादि जो मानव खपत के लिए अनुपयुक्त हैं, से इथेनॉल उत्पादन की अनुमति दी है। खाद्यान के संबंध में राष्ट्रीय बायो–फ्यूल समन्वय समिति (एन0बी0सी0सी0) को आगामी वर्ष के आकलित आपूर्ति के आधार पर विशिष्ट कच्चे माल की अनुमति देने हेतु अधिकृत किया गया था। बाद में एन0बी0सी0सी0 द्वारा भारतीय खाद्य निगम (एफ0सी0आई0) के पास अधिशेष चावल एवं मक्के से इथेनॉल उत्पादन की अनुमति दी गई है।

राष्ट्रीय बायो–फ्यूल नीति–2018 ने कृषि अवशेषों, जानवरों के गोबर, खाद्य अपशिष्ट, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, सीवेज के पानी आदि का परिशोधन करते हुए कम्प्रेस्ड बायो गैस/बायो सी0एन0जी0 के उत्पादन की भी अनुमति देता है और समय–समय पर एन0बी0सी0सी0 (NBCC) द्वारा संशोधित किया गया।

पारंपरिक रूप से बिहार संपूर्ण देश में गन्ना उत्पादन में अग्रणी रहा है एवं साथ ही यहाँ अधिसंख्यक छोआ आधारित आसवन इकाइयाँ स्थापित है। राज्य में गन्ना जूस, मकई तथा टूटे चावल का फीड–स्टॉक के रूप में उपयोग कर इथेनॉल उत्पादन में वृद्धि की पर्याप्त संभावना है। राष्ट्रीय बायो–फ्यूल नीति, 2018 एवं बाद की भारत सरकार की उद्घोषणाएँ बिहार जैसे राज्यों जहाँ गन्ना, मक्का तथा चावल जैसे बहुत सारे कच्चे माल उपलब्ध हैं, इथेनॉल से उत्पादन में वृद्धि हेतु अनुकुल नियामक एवं संस्थागत पर्यावरणीय प्रणाली प्रदान करते हैं।

यह नीति इथेनॉल एवं कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG)/बायो सी0एन0जी0 उत्पादन में अवसरों का लाभ उठाने के लिए पेश की गई है, जो किसानों, उद्यमियों एवं इथेनॉल इकाइयों में नियोजित होने वाले कामगारों के लिए स्थायी आमदनी का श्रोत प्रदान करती है।

3. उद्देश्य

इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में ग्रीन फिल्ड न्यू 100 प्रतिशत स्टैन्डअलोन (Stand-alone) इथेनॉल एवं कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG)/बायो सी0एन0जी0 उत्पादन इकाइयों का राज्य में सर्वांगिण विकास करना एवं वैसे इकाइयों और उनके निवेशकों, किसानों एवं अन्य संलग्न हितधारकों को लाभ पहुँचाना है तथा राज्य में शत् प्रतिशत इथेनॉल एवं कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG)/बायो सी0एन0जी0 का उत्पादन करने वाली नई (Green Field) स्टैन्डअलोन (Stand-alone) इकाइयों को निम्नांकित उद्देश्यों को प्राप्त करना है :–

- राष्ट्रीय बायो–फ्यूल नीति, 2018 एवं राष्ट्रीय बायो–फ्यूल समन्वय समिति के अन्तर्गत स्वीकृत इथेनॉल एवं कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG)/बायो सी0एन0जी0 के उत्पादन की अनुमति देना।
- फ्यूल ग्रेड स्टेन्डअलोन न्यू/ग्रीन–फिल्ड इथेनॉल एवं कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG)/बायो सी0एन0जी0 इकाइयों को बिहार में इकाई स्थापित करने हेतु उन्हें सुविधा एवं वित्तीय सहायता के साथ नीति अन्तर्गत देय अनुदानों का लाभ पहुँचाना है।
- इथेनॉल एवं कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG)/बायो सी0एन0जी0 उत्पादन हेतु कच्चा माल तैयार करने वाले किसानों एवं संलग्न फीड–स्टॉक की आय बढ़ाना का उद्देश्य है।
- फ्यूल ग्रेड स्टेन्डअलोन न्यू/ग्रीन–फिल्ड इथेनॉल एवं कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG)/बायो सी0एन0जी0 इकाइयों को प्रोत्साहित कर स्थानीय रोजगार के अवसर सृजित करना।

4. विषय वृत्तांत एवं व्याप्ति

4.1 इकाइयों के प्रकार के लिए पात्रता –

4.1.1 इस नीति अन्तर्गत केवल वैसी स्टैन्डअलोन (Stand-alone) आसवनगृहों (सिंगल फीड अथवा डूयल फीड) जो 100 प्रतिशत ईंधन ग्रेड इथेनॉल का उत्पादन करती हैं एवं ग्रीनफिल्ड परियोजना के रूप में विकसित होंगी, वैसी इकाइयाँ वित्तीय प्रोत्साहन की पात्र होंगी।

4.1.2 कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG)/बायो सी0एन0जी0 का उत्पादन करने वाली इकाइयाँ इस नीति के तहत प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगी।

4.2 **फीडस्टॉक्स के प्रकार के लिए पात्रता–** बिहार राज्य में राष्ट्रीय बायो–फ्यूल नीति, 2018 के तहत एवं राष्ट्रीय बायो–फ्यूल समन्वय समिति द्वारा स्वीकृत सभी फीडस्टॉक्स से इथेनॉल एवं कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG)/बायो सी0एन0जी0 उत्पादन की अनुमति होगी। भविष्य में राष्ट्रीय बायो–फ्यूल समन्वय समिति द्वारा कोई अतिरिक्त फीडस्टॉक की अनुमति दिए जाने पर उक्त फीडस्टॉक में बिहार में स्वतः इथेनॉल एवं कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG)/बायो सी0एन0जी0 उत्पादन हेतु अनुमति होगी।

टिप्पणी:–

(क) इस नीति अन्तर्गत पात्रता हेतु बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2016 अन्तर्गत वर्णित अन्य पात्रता शर्तो एवं प्रोत्साहनों पर विचार किया जाएगा।

(ख) इस नीति अन्तर्गत वित्तीय सहायता हेतु केवल वही इथेनॉल उत्पादन की इकाइयाँ पात्र होंगी जो भारत सरकार के इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (इ0बी0पी0) के तहत ईंधन श्रेणी के इथेनॉल का उत्पादन करती है या बिहार राज्य के बाहर औद्योगिक उपयोग के लिए इथेनॉल की आपूर्त्ति करती है। इस प्रयोजन हेतु वित्तीय स्वीकृति के समय इकाइयाँ या तो (i) इकाई, उनके बैंक एवं तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के बीच सम्पन्न त्रिपक्षीय एकरारनामे की एक प्रति, अथवा (ii) इकाई द्वारा उत्पादित इथेनॉल के क्रय हेतु तेल

विपणन कंपनियों (OMCs) का क्रयादेश जमा करेगी, अथवा (iii) इकाई द्वारा निर्मित इथेनॉल की सोर्सिंग के लिए क्रेता कंपनी के साथ खरीद समझौता/अनुबंध, अथवा इकाई से अंडरटेकिंग (Undertaking) लिया जाना है कि वे उपरोक्त बिन्दुओं का अनुपालन करेंगे।

(ग) इस नीति अन्तर्गत वित्तीय सहायता हेतु केवल वही कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG) उत्पादन की इकाइयाँ पात्र होंगी जो भारत सरकार के जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के तहत उत्पादन करती है। इस प्रयोजन हेतु वित्तीय स्वीकृति के समय इकाइयाँ या तो (i) इकाई, उनके बैंक एवं तेल विपणन कंपनियों (OMCs)/गैस विपणन कंपनियों (GMCs) के बीच सम्पन्न त्रिपक्षीय एकरारनामे की एक प्रति, अथवा (ii) इकाई द्वारा उत्पादित कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG) के क्रय हेतु तेल विपणन कंपनियों (OMCs)/(GMCs) का क्रयादेश जमा करेगी, अथवा (iii) इकाई द्वारा निर्मित कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG) की सोर्सिंग के लिए क्रेता कंपनी के साथ खरीद समझौता/अनुबंध, अथवा इकाई से अंडरटेकिंग (Undertaking) लिया जाना है कि वे उपरोक्त बिन्दुओं का अनुपालन करेंगे।

5. इथेनॉल एवं कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG) उत्पादन करने वाली इकाइयों को प्रोत्साहन

यह नीति, इथेनॉल एवं कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG)/बायो सी0एन0जी0 उत्पादन प्रक्षेत्र में आगे निवेश के अवसर में सुधार हेतु अर्हता प्राप्त इकाइयों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता का महत्त्व समझती है।

5.1 मार्गदर्शक सिद्धांत

5.1.1 ये प्रावधान/सिद्धांत इस नीति अन्तर्गत सभी पात्र परियोजनाओं/इकाइयों के लिए लागू होंगे।

5.1.2 यह नीति इसकी अधिसूचना की तिथि से लागू होगी। उक्त तिथि को इस नीति की प्रभावी तिथि माना जायेगा जिससे इनके प्रावधान लागू होंगे तथा 31 मार्च, 2028 तक लागू रहेंगे।

5.1.3 इस नीति अन्तर्गत प्रोत्साहन इकाई द्वारा व्यवसायिक उत्पादन प्रारंभ होने के उपरान्त दिए जायेंगे।

5.1.4 इस नीति की कडिका–4 अन्तर्गत आच्छादित योग्य इकाइयों को प्रोत्साहन बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 द्वारा देय अनुदानों के अतिरिक्त होगा। यथापि इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा इस नीति की कंडिका–5.2 में निर्धारित अधिसीमा के अधीन होगी।

5.1.5 इस नीति अन्तर्गत पूँजीगत अनुदान की गणना के लिए संयंत्र एवं मशीनरी की लागत बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अन्तर्गत अनुमोदित परियोजना लागत में शामिल संयंत्र एवं मशीनरी की लागत होगी।

5.1.6 इस नीति अन्तर्गत केवल वैसी ग्रीन–फिल्ड स्टैन्डअलोन इथेनॉल इकाइयाँ जो जेड0एल0डी0 (Zero Liquid Discharge) के आधार पर स्थापित की गई है, पर विचार

किया जाएगा। इन्फ्लूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (इ0टी0पी0) की स्थापना लागत को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 की कंडिका–6.1(xxii) में यथावर्णित अनुमोदित परियोजना लागत में शामिल किया जाएगा।

5.1.7 पात्र इथेनॉल इकाइयों द्वारा कैप्टिव पावर प्लान्ट की स्थापना में किए गए व्यय को अनुमोदित परियोजना लागत में शामिल किया जाएगा।

5.1.8 **विशेष वर्ग के निवेशको को दिये जाने वाले लाभ** : अनुसूचित जातियों (एस0सी0), अनुसूचित जनजातियों (एस0टी0), अति पिछड़ा वर्ग (इ0बी0सी0), महिलाओं, दिव्यांगजनों, वार विडो, एसिड हमले के शिकार एवं थर्ड जेन्डर उद्यमियों के मामले में इस नीति अन्तर्गत प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा को अतिरिक्त 5 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा।

5.2 प्रोत्साहन की अधिसीमा

5.2.1 इस नीति अन्तर्गत प्रोत्साहन बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के प्रोत्साहनों के अतिरिक्त होगा। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 अन्तर्गत ब्याज अनुदान प्रोत्साहन एवं इस नीति अन्तर्गत पूंजीगत अनुदान की कुल अधिसीमा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 अन्तर्गत अनुमोदित परियोजना लागत की 50 प्रतिशत तक होगी।

5.2.2 इस नीति की कंडिका–5.1.8 में वर्णित विशेष वर्ग के निवेशकों के लिए यह अधिसीमा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 अन्तर्गत अनुमोदित परियोजना लागत का 52.5 प्रतिशत होगी।

5.3 इस नीति अन्तर्गत प्रोत्साहन

इस नीति अन्तर्गत पूँजीगत अनुदान की सीमा संयत्र एवं मशीनरी की लागत का 15 प्रतिशत अथवा रु0 5.00 करोड़, जो भी कम हो, होगी।

कंडिका–5.1.8 में वर्णित विशेष वर्ग के निवेशकों के लिए इस नीति अन्तर्गत पूँजीगत अनुदान की सीमा संयत्र एवं मशीनरी की लागत का 15.75 प्रतिशत अथवा रु0 5.25 करोड़, जो भी कम हो, होगी।

5.4 केन्द्र एवं राज्य सरकार की नीतियों एवं योजनाओं के साथ समन्वय (Dovetailing)

(क) इस नीति अन्तर्गत केन्द्र सरकार की नीतियों एवं योजनाओं से समन्वय (Dovetailing) की अनुमति होगी। निवेशकों को उनके द्वारा केन्द्र सरकार की नीतियों अन्तर्गत प्राप्त किये गये/प्राप्त किए जाने वाले प्रोत्साहनों के प्रकार एवं राशि की घोषणा करनी होगी।

(ख) इस नीति अन्तर्गत बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 से भी समन्वय (Dovetailing) की अनुमति होगी। नीति अन्तर्गत बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 से इतर राज्य सरकार की अन्य नीतियों एवं योजनाओं के साथ

समन्वय (Dovetailing) की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि इकाई द्वारा एक ही परिसम्पत्ति पर इस नीति एवं वैसी अन्य नीति के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त नहीं किया जाएगा।

(ग) यदि निवेशक केन्द्र सरकार की योजना अन्तर्गत कोई अनुदान प्राप्त करता है तो उनके द्वारा प्राप्त किए गए/प्राप्त किए जाने वाले अनुदान की राशि को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 अथवा इस नीति अन्तर्गत अनुमान्य तत्स्थानी अनुदान (Corresponding Subsidy) से घटा दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि एक निवेशक केन्द्र सरकार की एक योजना अन्तर्गत 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्राप्त करता है तथा उसके द्वारा लिए गए सावधि ऋण पर लागू ब्याज का दर 10 प्रतिशत है तो नीति में उल्लिखित अधिसीमा के अधीन शेष 4 प्रतिशत बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 अन्तर्गत अनुमान्य होगा।

5.5 विशेष वर्ग के उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज

राज्य में अनुसूचित जातियों (एस0सी0), अनुसूचित जनजातियों (एस0टी0), अति पिछड़ा वर्ग (इ0बी0सी0), महिलाओं, दिव्यांगजनों, वार विडो, एसिड हमले के शिकार एवं थर्ड जेन्डर उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इन्हें इस नीति अन्तर्गत अतिरिक्त अनुदान इस शर्त के साथ अनुमान्य होगा कि इकाई को प्रवर्तित करने वाली कंपनी/फर्म में इन वर्गों के उद्यमियों का 100 प्रतिशत हिस्सेदारी हो।

5.6 इस नीति अन्तर्गत आवेदन की समयावधि

इस नीति अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र इकाइयों को दिनांक 30.06.2024 तक स्टेज–1 क्लीयरेंस के लिए आवेदन जमा करना होगा। इथेनॉल एवं कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG)/बायो सी0एन0जी0 इकाई की स्थापना हेतु उद्यमी द्वारा जमा किए गए स्टेज–1 के सभी आवेदनों को राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद के आगामी बैठक में प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हर तरह से पूर्ण आवेदन को स्टेज–1 की स्वीकृति प्रदान की जाएगी तथा इसकी सूचना संबंधित उद्यमी को दी जाएगी।

वैसी पात्र इकाइयाँ जो इस नीति की अधिसूचना के पूर्व स्टेज–1 की स्वीकृति प्राप्त कर चुकी हैं उन्हें भी इस नीति से आच्छादित किया जाएगा।

5.7 पहले आओ–पहले पाओ के आधार पर प्रोत्साहन

इस योजनान्तर्गत पहले आओ–पहले पाओ के आधार पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इस नीति अन्तर्गत दिनांक 30.06.2024 तक स्टेज–1 क्लीयरेंस के लिए आवेदन करने वाली सभी इकाइयाँ प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्र होंगी, अगर वे 30.06.2025 तक अथवा इसके पूर्व वित्तीय प्रोत्साहन मंजूरी के लिए भी आवेदन कर देती है।

5.8 100 प्रतिशत नई स्टैंडअलोन इथेनॉल एवं कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG)/बायो सी0एन0जी0 इकाइयों को कुल वित्तीय सहायता

इस नीति की अधिसूचना के उपरान्त बिहार की पात्र ग्रीन फिल्ड स्टैन्डअलोन इथेनॉल एवं कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG)/बायो सी0एन0जी0 की इकाइयाँ बिहार सरकार की निम्नांकित नीतियों के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्र होंगी :–

1. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016
2. यह नीति

इस प्रकार पात्र इथेनॉल एवं कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG) इकाइयाँ निम्नांकित वित्तीय सहायता की पात्र होंगी :–

क्रमांक	प्रोत्साहन का प्रकार	प्रोत्साहन की राशि	नीति
1	स्टाम्प ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क	स्टाम्प ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क में 100 प्रतिशत छूट (प्राथमिकता प्रक्षेत्र के मामले में 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति)	बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016
2	भूमि सम्परिवर्तन शुल्क	भूमि सम्परिवर्तन शुल्क में 100 प्रतिशत छूट (प्राथमिकता प्रक्षेत्र के मामले में 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति)	
3	ब्याज अनुदान प्रोत्साहन	पाँच वर्षों के लिए टर्म लोन पर 10 प्रतिशत ब्याज अनुदान, प्रोत्साहन की अधिसीमा परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम रु0 20.00 करोड़ (प्राथमिकता प्रक्षेत्र के मामले में अधिसीमा परियोजना लगत का 30 प्रतिशत, अधिकतम रु0 10.00 करोड़)	
4	कर संबंधी प्रोत्साहन	पाँच वर्षों तक कर संबंधी प्रोत्साहन (100 प्रतिशत एस0जी0एस0टी प्रतिपूर्ति एवं 100 प्रतिशत विद्युत शुल्क प्रतिपूर्ति), अधिसीमा परियोजना लागत का 100 प्रतिशत, (प्राथमिकता प्रक्षेत्र के मामले में 80 प्रतिशत एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति एवं 100 प्रतिशत विद्युत शुल्क प्रतिपूर्ति, अधिकतम परियोजना लागत का 100 प्रतिशत)	
5	नियोजन लागत अनुदान	नई इकाइयों को बिहार के निवासी कर्मियों के लिए ई0एस0आई0 एवं ई0पी0एफ0 योजना में अंशदान पर हुए व्यय का 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति (पुरूष कामगारों के मामले में) तथा 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति (महिला कामगारों के मामले में), प्रतिपूर्ति की अधिसीमा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला कर्मियों के लिए रु0 1000.00 प्रतिमाह तथा सामान्य कर्मियों के लिए रु0 500.00 प्रतिमाह होगी।	

6	कौशल विकास अनुदान	कौशल विकास अनुदान रु0 20,000.00 प्रति कर्मी / बिहार कौशल विकास मिशन (बी0एस0डी0एम0) का दर, जो भी कम हो। यह अनुदान बिहार के निवासी कर्मियों / स्टॉफ के प्रशिक्षण के लिए अनुमान्य होगा।	
7	पूँजीगत अनुदान	संयंत्र एवं मशीनरी की लागत का 15 प्रतिशत, अधिकतम रु0 5.00 करोड़	यह नीति

टिप्पणी :–

1. सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों के मामले में निम्नांकित अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाते है :– (i) ब्याज अनुदान की दर 10 प्रतिशत के बदले 12 प्रतिशत है तथा (ii) कर संबंधी अनुदान की अधिसीमा अनुमोदित परियोजना लागत की 30 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ाई जाती है।
2. इस नीति की कंडिका–5.1.8 में वर्णित विशेष वर्ग के उद्यमियों के लिए निम्नांकित अतिरिक्त अनुदान दिए जाते हैं :– (i) ब्याज अनुदान की दर तथा ब्याज अनुदान की अधिसीमा दोंनो को 15 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ाया जाता है, (ii) कर संबंधी अनुदान की अधिसीमा को 15 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ाया जाता है तथा (iii) पूँजीगत अनुदान की अधिसीमा को 5 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ाया जाता है।
3. यह कंडिका 5.8 मात्र प्रस्तुतीकरण के उद्देश्य से है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 अन्तर्गत प्रोत्साहनों में संबंधित पदबंधों एवं शर्तों के लिए नीति दस्तावेज को संदर्भित किया जाना चाहिए। इस कंडिका में प्रस्तुत सूचनाओं एवं उक्त नीति के प्रावधानों में कोई विरोधाभाष होने पर, नीति के प्रावधान लागू एवं प्रभावी होंगे।

5.9 उद्यमियों एवं उद्योग विभाग द्वारा समय सीमा का अनुपालन

- **स्टेज–1 क्लीयरेंस** :– उद्यमियों को उद्योग विभाग के सिंगल विण्डो क्लीयरेंस पोर्टल (swc2.bihar.gov.in) पर 30 जून, 2024 तक स्टेज–1 क्लीयरेंस के लिए आवेदन जमा करना होगा।
- **बियाडा द्वारा भूमि का आवंटनः–** भूमि आवंटन के लिए उद्यमियों द्वारा बियाडा के पोर्टल पर आवेदन करना होगा जिसे बियाडा द्वारा आगामी 07 कार्य दिवसों में निष्पादित किया जायेगा।
- **वित्तीय स्वीकृतिः–** वित्तीय स्वीकृति के लिए उद्यमियों को उद्योग विभाग के सिंगल विण्डो क्लीयरेंस पोर्टल (swc2.bihar.gov.in) पर अधिकतम 30 जून, 2025 तक आवेदन करना होगा।

6. नीति कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं शिकायत निवारण

6.1 नीति कार्यान्वयन :–

i. उद्योग विभाग, बिहार सरकार राज्य में इस नीति के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी होगा। उद्योग निदेशक इस नीति के नोडल अधिकारी होंगे।

ii. इस नीति अन्तर्गत अनुदान की प्रक्रिया बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 एवं बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, 2016 में निहित प्रावधानों के अनुसार होगी।

iii. इकाइयों द्वारा इस नीति अन्तर्गत अनुदान हेतु आवेदन उद्योग विभाग, बिहार सरकार के सिंगल विण्डो क्लीयरेंस पोर्टल (swc2.bihar.gov.in) पर किया जायेगा।

iv. बिहार सरकार राज्य में ईंधन श्रेणी इथेनॉल एवं कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG) उत्पादन को प्रोत्साहित करेगी। इस उद्देश्य हेतु बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 की धारा–4 के अनुरूप गठित राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद को राज्य सरकार के संबंधित विभागों/अभिकरणों को निदेश जारी करने हेतु प्राधिकृत करेगी। इथेनॉल एवं कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG) इकाइयों को बिहार सरकार के मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग तथा अन्य विभागों/अभिकरणों से वांछित अनापत्ति प्रमाण–पत्र, स्वीकृति एवं अनुमति उद्योग विभाग, बिहार सरकार के सिंगल विण्डो क्लीयरेंस पोर्टल (swc2.bihar.gov.in) द्वारा दिया जायेगा।

v. उद्योग विभाग द्वारा इथेनॉल एवं कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG) इकाइयों की स्थापना करने वाले उद्यमियों को बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) से भूमि आवंटन, निजी भूमि के भूमि निबंधन तथा भूमि उपयोग सम्परिवर्तन एवं अन्य आवश्यक स्वीकृतियों/अनुज्ञप्तियों/अनापत्तियों के लिए हैण्ड–होल्डिंग सहायता दी जायेगी।

vi. इथेनॉल एवं कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG) इकाइयों को बियाडा की भूमि प्राथमिकता के आधार पर आवंटित की जायेगी। उद्यमी द्वारा इथेनॉल एवं कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG) उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए भूमि आवंटन के प्रत्येक आवेदन को आगामी 07 कार्य दिवसों में निष्पादित किया जायेगा। इस उद्देश्य हेतु उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र की इकाईयों के लिए एक सप्ताह के अंदर प्राप्त सभी आवेदनों की स्वीकृति के लिए बियाडा के प्रोजेक्ट क्लीयरेंस कमिटि (पी0सी0सी0) की साप्ताहिक बैठक होगी। इथेनॉल एवं कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG) उत्पादन करने वाली इकाइयों को भूमि आवंटन में अन्य उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र के प्रस्तावों पर अधिमानता दी जायेगी।

6.2 नीति अनुश्रवण एवं शिकायत निवारण

i. इस नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और आवश्यक दिशा–निर्देशो के साथ त्रुटियों का निराकरण किया जायेगा।

ii. उद्योग विभाग इस उद्देश्य के लिए वेब आधारित सूचना तंत्र विकसित करेगा जिससे सलाह एवं शिकायत सीधा विभाग को प्रेषित किया जा सके।

6.3 कार्यक्रम जागरूकता एवं क्षमता वर्द्धन

i. घरेलू ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु विभिन्न स्तरों पर जागरूकता/क्षमता वर्द्धन के लिए कार्यक्रम चलाया जायेगा। इसके साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ की जायेगी, साथ ही स्व–रोजगार के अवसरों के लिए जैव ईंधन प्रक्षेत्र की भूमिका एवं महत्व स्थापित की जायेगी।

ii. मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्द्धन पर जोर दिया जायेगा। इसके लिए सरकारी एवं अन्य संस्थानों को विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा जिससे कि जैव ऊर्जा प्रक्षेत्र में प्रचुर मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

7. **सामान्य शर्तें :–**

i. राष्ट्रीय बायो–फ्यूल नीति, 2018 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो (बी0आई0एस0) द्वारा पहले से ही बायो इथेनॉल स्टैण्डअलोन एवं मिश्रित रूप में उपयोग के लिए बायो डिजल के मानकों को विकसित किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा बायो डिजल के लिए (15607), जो अमेरिकन मानक ए0एस0टी0एम0–डी–6751 एवं यूरेपियन मानक ई0एन0–14–14214 से लिया गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 5 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत बायो इथेनॉल मिश्रण सहित मानक आई0एस0–2796 : 2001 विकसित किया गया है। बायो इथेनॉल, बायो डिजल, ड्रॉप–इन–फ्यूल, मिथेनॉल एवं अन्य जैव ईंधनों के उत्पादन में भारतीय मानक ब्यूरों द्वारा तय किये गये मानकों की हर शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

ii. अनुदान प्राप्ति के लिए यदि कोई गलत घोषणा दी जाती है या अनुदान एक ऐसी इकाई द्वारा प्राप्त किया जाता है जो योग्य नही है या अन्य किसी तरीके से इस नीति का उल्लंधन किया जाता है, वैसी स्थिति में अनुदान के रूप में दी गई राशि, अनुदान विमुक्ति की तिथि से 18 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृधि ब्याज की दर से वसूल की जायेगी। निर्धारित तिथि तक भुगतान नहीं करने पर राज्य सरकार सूद सहित राशि भूमि लगान की तरह वसूल करेगी।

iii. यदि कोई इकाई इस नीति के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के बाद भारत सरकार के इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम/राष्ट्रीय जैव ईंधन पर राष्ट्र नीति के तहत तेल विपणन कंपनियों को आपूर्ति करने के लिए ईंधन ग्रेड इथेनॉल और कम्प्रेस्ड बायो गैस उत्पाद हेतु उत्पादन सुविधा को बदल देती है तो प्रोत्साहन की राशि इस तरह के लाभ को प्राप्त करने की तिथि से वार्षिक चकवृद्धि ब्याज के साथ 18% प्रति वर्ष की दर से वसूल की जा सकती है। निर्धारित समय के भीतर भुगतान न करने की स्थिति में राज्य सरकार ऐसी राशि को ब्याज सहित भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल कर सकती है।

8. इस नीति में प्रयुक्त शब्दों के वहीं अर्थ होंगे जो बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 अथवा राष्ट्रीय बायो–फ्यूल नीति, 2018 में हैं, जैसा संदर्भ हो। व्याख्या/विवाद के सभी मामले औद्योगिक विकास आयुक्त या अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग द्वारा निर्णीत होंगे। ऐसी व्याख्या/निर्णय अंतिम होगा।

9. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के वंचित उद्योगों की सूची में अंकित उद्योग इस नीति अन्तर्गत किसी प्रोत्साहन के पात्र नहीं होंगे।

10. अनुवादित संस्करण के अर्थ और व्याख्या में किसी भी प्रकार की विसंगति होने की स्थिति में अंग्रेजी भाषा संस्करण हर तरह से बाध्यकारी होगा और लागू होगा।

11. इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2021 के अंतर्गत किये जा रहे कार्य बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2023 के अंतर्गत आच्छादित माने जायेगे।

12. यह नीति अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी तथा 31 मार्च, 2028 तक लागू रहेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

7/7/23

(संदीप पौण्डरीक),
अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1957 /पटना, दिनांक– 10/07/2023

सं0सं0– 4तक0 / Biofuels Policy / 13 / 2023

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के विशेष अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित राजपत्र की 1000 प्रतियाँ मुद्रित कर विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

7/7/23

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1957 /पटना, दिनांक– 10/07/2023

सं0सं0– 4तक0 / Biofuels Policy / 13 / 2023

प्रतिलिपिः– महालेखाकार(ले0 एवं हक0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

7/7/23

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1957 /पटना, दिनांक– 10/07/2023

सं0सं0– 4तक0 / Biofuels Policy / 13 / 2023

प्रतिलिपिः– सभी विभागाध्यक्ष/उद्योग विभाग के सभी निगम/प्राधिकार/मंत्री, उद्योग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/7/23

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

(6)

ज्ञापांक– 1957 /पटना, दिनांक– 10/07/2023

संo संo– 4तकo / Biofuels Policy / 13 / 2023

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त / स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली / निदेशक, एमoएसoएमoईoडीoआईo, पाटलिपुत्र, पटना / मुजफ्फरपुर / मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव / अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिo, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1957 /पटना, दिनांक– 10/07/2023

संoसंo– 4तकo / Biofuels Policy / 13 / 2023

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी / विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1957 /पटना, दिनांक– 10/07/2023

संoसंo– 4तकo / Biofuels Policy / 13 / 2023

प्रतिलिपिः– आईoटीo प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।